श्री विमलकुमार मन्नालालजी चोरड़िया : क्या श्रीमान् यह बतलायेंगे कि प्रारम्भ से ही हजारों की संख्या में इस तरह के मामले अनिर्णीत रहे? क्या उस समय भी पूरा स्टाफ नहीं था अथवा काम लापरवाही से किया जा रहा था ? इस का क्या कारण है कि उस समय से इतने केसेज अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं ?

श्री मनुभाई शाह : पांच सात वर्षों से केसेज पेंडिंग है । जैसाकि इन्कम-टैक्स केसेज में लोग एसेसमेंट को चैलेन्ज कर देते हैं वैसे ही यहां प्राड्यूसर जो सेस लगाया जाता है उस को चैलेन्ज करते हैं । इसलिये हम ने सोचा कि पहले २५,००० रबड़ उत्पादकों के केसेज लें के बजाय ७०० रबड़ उपभोक्ताओं से पहले सेस इकट्ठा कर लिया जाय और बाद में बाकी के केसेज लिये जायें।

करांची में भारतीय चांसरी की इमारत को हुई क्षति के लिये पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया गया मुआवजा

*३४८. **श्री भगवत नारायण भार्गव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि २५ फरवरी, १९६१ को कराची में पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने भारतीय चांसरी की इमारत आदि को जो क्षति पहुंचाई उस के लिये सरकार ने कितना मुआवजा मांगा था और क्या वह मुआवजा मिल गया है या नहीं ?

•f [COMPENSATION PAID BY PAKISTAN GOVERNMENT FOR DAMAGE DONE TO INDIAN CHANCERY BUILDING IN KARACHI

*348. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state the amount claimed as compensation by Government for the damage caused by the Pakistani demonstrators to the Indian Chancery building etc. at Karachi on 25th February, UHJL and whether the same has been received or not?]

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : २५ फ़रवरी १९६१ को पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने कराची में भारतीय चांसरी भवन को जो नुकसान पहुंचाया था, उस के मुआविजे के रूप में रु० ८,४२८–८१ न० पै० की रक़म पाकिस्तान सरकार से मांगी गई थी । उन्हों ने मुआविजे की पूरी रकम चुकता कर दी है । कराची स्थित भारतीय हाई कमीशन को चैक २४ मई १९६२ को मिल गया था ।

t[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH) : An amount of Rs. 8,428.81 nP. was claimed from the Government of Pakistan as compensation for the damage caused by Pakistani demonstrators to the Indian Chancery building at Karachi on 25th February, 1961. That Government have since paid the above amount in full settlement of the claim. The Indian High Commission in Karachi received the cheque on the 24th May, 1962.]

SHRI M. P. BHARGAVA: I presume this Chancery building was with us on rent. May I know what the Indian Government had to pay to the landlord?

SHRI DINESH SINGH: As I ex- ' plained the other day in this House, the Indian Chancery building is our own building and not on rent.

पाकिस्तान से हिन्दुओं का प्रव्रजन

*३४९. **श्री भगवत नारायण भार्गव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जून, १९६१ से ३० जून, १९६२ तक कितने हिन्दू पाकिस्तान से भारत में आये और उन के पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की गई ; और

"!"[ ] English translation.

(ख) ये लोग पाकिस्तान में कितनी अचल और चल सम्पत्ति छोड़ कर आये और क्या उन्हें इस सम्पत्ति का मुआवजा दिलाने के लिये कोई कार्यवाही की गई ?

t [MIGRATION OF HINDUS FROM PAKISTAN

*349. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of Hindus, who nv grated to India from Pakistan during the period from 1st June, 1951 to 30th June, 1962, and the steps taken for their rehabilitation; and

(b) the amount of immovable and movable properties left by them in Pakistan and whelhtr any steps were taken to get them compensated for those properties?]

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) १ जून, १९६१ से ३० जून, १९६२ तक की अवधि में १५,७४८ लोग पाकिस्तान से भारत में प्रवास (माइग्रेशन) के लिए आये । जो लोग १ अप्रैल १९५८ के बाद भारत में आये हैं, वे किसी पुनर्वास सहायता के अधिकारी नहीं माने जाते ।

(ख) प्रधान मंत्रियों के १९५० के करार के अन्तर्गत, प्रवासियों (माइग्रैंट्स) को अपने साथ अपनी चल सम्पत्ति लाने का अधिकार रहता है । जहां तक पाकिस्तान में छूटी हुई अचल सम्पत्ति का मामला है, उस पर प्रवासी का हक़ बना रहता है; इसलिए उस के मुआविजे का सवाल नहीं उठता । इसके अलावा यह बात भी है कि हमें इसकी जानकारी नहीं होती कि इन अचल सम्पत्तियों की क़ीमत कितनी है, और उसे जान सकना व्यावहारिक भी नहीं होता ।

|[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH): («) 15,7*8

t [ ] English translation.

persons migrated from Pakistan to India during the period 1st June, 1961 to 30th June, 1962. Migrants entering India on and after 1st April, 1958 are not eligible for any rehabilitation assistance.

(b) Under the Prime Ministers' Agreement of 1950, a migrant is entitled to bring out with him his movable assets. As regards immovable properties left behind in Pakistan, the migrant's rights continue to vest in the property, therefore the question of compensation does not arise. Furthermore, no valuation of these immovable properties is available nor it is practicable.]

श्री भगवत नारायण झागव : क्या यह सही है कि इन प्रवासियों में से बहुतों ने पश्चिमी बंगाल सरकार को अपना रिप्रेजेन्टेशन दिया है और उसके सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक मेरा खयाल है, कोई खास रिप्रजेन्टेशन नहीं दिया गया है; क्योंकि असल चीज यह है कि जो लोग पाकिस्तान में १२ और १५ साल रहने के बाद हिन्दुस्तान आते हैं, वे अपनी जायदाद बेच सकते हैं और वहां पर रख सकते हैं । इस तरह के लोगों को रिहैबिलिटेशन का अधिकार नहीं है । हमने उन लोगों को रिहैबिलिटेट किया, जो शुरू में आये । और इस तरह से हमेशा रिहैबिलिटेशन का सिलसिला नहीं चल सकता है ।

SHRI B. D. KHOBARAGADE: May I know whether the Government have enquired into the circumstances which compelled thousands Of Hindus to leave Pakistan and migrate to India?

SHRI DINESH SINGH: This point has been answered in this House when the Prime Minister made his statement. These people feel insecure in Pakistan and, therefore, they are coming away here.

SHRI R. S. KHANDEKAR: When these refugees are not entitled to rehabilitation, why are they not allow-

ed to bring tneir movable and immovable properties to India.

SHRI DINESH SINGH: How can anyone bring immovable property?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Immovable property does not move.

SHRI A. B. VAJPAYEE: According to the Agreement, a migrant is allowed to bring movable property with him. But is it not a fact that really they are not allowed to bring any property with them and that many of them have come as pauper$_s$ to India?

SHRI MEHR CHAND KHANNA: It •would be correct to say that we entered into a movable property agreement between India and Pakistan on the western side and that has been largely implemented. As far as the eastern side is concerned, I have seen people coming from Pakistan to India and whatever little belongings they have of movable property they are bringing with them.

SHRI A. D. MANI: The hon. Deputy Minister stated just n'ow that these migrations are due to their feeling of fear of life and property in Pakistan. If that was so, I would like to know what representations the Government of India have made to Pakistan about this matter.

SHRI JAWAHARLAL NEHRU: I would add to my colleague's answer by saying that this is due to economic conditions. The economic conditions there have not been good, and the pressure of these conditions has made them come. As for the other matters, We have repeatedly pointed out t'o the Pakistan Government about this feeling of insecurity among the minority community there.

श्री भगवत नारायण भार्गव : क्या यह सही है कि जून १९६२ के बाद जो लोग वहां से आना चाहते हैं, उन पर रोक लगा दी गई है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : बहुत से लोग अभी भी आये हैं और आ रहे हैं । वहां से दो तरह के लोग आ रहे हैं । कुछ तो माइग्रेशन सार्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं । कुछ बगैर माइग्रेशन सार्टिफिकेट के आये हैं । मैं अभी कलकत्ते गया था और मेरी वहां के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनसे बातचीत हुई, तो उनसे पता लगा था कि कोई १०–११ हजार ऐसे हैं, जो संताल हैं, जो बगैर माइग्रेशन सार्टिफिकेट के आये हैं और ५–६ हजार वे हैं, जो माइग्रेशन सार्टिफिकेट लेकर आये हैं ।

भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा पर प्रतिबन्ध

*३५०. **श्री भगवत नारायण भार्गव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-पाकिस्तान पारपत्र और वीसा नियम के बारे में दोनों देशों ने जो प्रतिबन्ध लगाये थे, क्या उनके विषय में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई नई बातचीत हुई है ; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

t [RESTRICTIONS ON TRAVEL BETWEEN INDIA AND PAKISTAN

♦350. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state whether there have been any fresh negotiations between India and Pakistan regarding the restrictions imposed by both the countries in connection with the Indo-Pakistan Passport and Visa Rules; and if s'o, with what results?]

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : जी, नहीं ।

हमारे कराची-स्थित हाई कमिश्नर इस मामले पर पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत करते रहे हैं । पाकिस्तान सरकार ने अभी तक कोई सूचना नहीं दी है कि वह वीजा देने के मामले में उदारता बरतने के सवाल पर भारत सरकार के साथ सलाह-मशविरा करने के लिए कब तैयार होगी ।

†[ ] English translation.